रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2004/आषाढ़ 11, 1926
No. 280] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2004/ASADHA 11, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 395(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 5 जुलाई, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 7(3)-बी(डी)/2003]

एम. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2004

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003), the Central Government hereby appoints the 5th day of July, 2004 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 7(3)-B(D)/2003]

M. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 396(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 है ।

   (2) ये 5 जुलाई, 2004 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं .- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अधिनियम" से राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "स.घ.उ." से चालू कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अभिप्रेत हैं ;

(घ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. वार्षिक लक्ष्य.-

(1) धारा 4 की उपधारा (1) में दिए गए 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसे घाटे को ऐसी राशि से कम करेगी जो वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत या अधिक के समतुल्य हो ।

(2) केन्द्रीय सरकार राज्य वित्तीय घाटे को ऐसी राशि से कम करेगी जो वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत या उससे अधिक की समतुल्य राशि हो, ताकि राजवित्तीय घाटा 31 मार्च, 2008 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम किया जा सके ।

(3) केन्द्रीय सरकार वित्तीय वर्ष 2004-2005 से किसी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक की किसी राशि की प्रत्याभूति नहीं देगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए और पश्चात्वर्ती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दायित्व (जिसमें वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण भी सम्मिलित है) सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक ग्रहण नहीं करेगी, सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत की यह सीमा आनुक्रमिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक प्रतिशत कम की जाएगी ।

4. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और वृहत् आर्थिक रूप रेखा विवरण .-

केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों के साथ संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और वृहत्त आर्थिक रूप रेखा विवरण क्रमशः प्ररूप च-1, च-2 और च-3 में होंगे ।

5. राजवित्तीय संकेतक .- (1) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित राजवित्तीय संकेतकों की बाबत तीन वर्षों में चक्र लक्ष्य ऐसे होंगे, जो प्ररुप च-1 में दिए गए हैं, अर्थात् :-

(i) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा ;

(ii) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजवित्तीय घाटा ;

(iii) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व ; और

(iv) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय सरकार की कुल दायित्व ।

(2) प्ररूप च-2में राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में वार्षिक लक्ष्य और बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रूझानों का निर्धारण करने के लिए अंशवार्षिक लक्ष्य भी होंगे ।

6. प्रकटन.- (1) केन्द्रीय सरकार, लोक हित में अपनी राजवित्तीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग प्रस्तुत करते समय, निम्नलिखित का प्रकटन करेगी :-

(क) विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले लेखामानकों, नीतियों और व्यवहारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ।

(ख) प्ररूप घ-1 से घ-3 में प्राप्यों और प्रत्याभूतियों का विवरण ।

(ग) आस्तियों का प्ररूप घ-4 में विवरण ।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगे प्रस्तुत करने तक करना होगा ।

7. अनुपालन करवाने के लिए उपाय.-

वित्तीय वर्ष 2004-2005 से आंरभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की समाप्ति पर धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्तियों और किए गए व्यय के रुखों की तिमाही की समीक्षा के निष्कर्षों से यह दर्शित होता है कि-

(i) कुल मिलाकर गैर उधार प्राप्तियां उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के चालीस प्रतिशत से कम हैं ; या

(ii) उस वर्ष के लिए राजवित्तीय घाटा बजट प्राक्कलन के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक है ; या

(iii) उस वर्ष के लिए राजस्व घाटा बजट प्राक्कलन के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक है ,

तब,

(क) केन्द्रीय सरकार उस धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित समुचित सुधारात्मक उपाय करेगी ; और

(ख) वित्त मंत्रालय का भारसाधक मंत्री, दूसरी तिमाही की समाप्ति के तुरंत पश्चात् के सत्र के दौरान उस धारा की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित रूप में किए गए सुधारात्मक उपायों ; वह रीति जिसमें अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों का वित्तपोषण किए जाने का प्रस्ताव है और उस वित्तीय वर्ष के राजवित्तीय घाटे के लिए संभावनाओं का ब्यौरा देते हुए संसद् के दोनों सदनों में कथन करेगा ।

प्ररूप-च-1

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण

क. राजवित्तीय संकेतक-चालू लक्ष्य

	चालू वर्ष संशोधित प्राक्कलन	आगामी वर्ष का लक्ष्यः बजट प्राक्कलन, वर्ष	अगले दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
			वर्ष + 1	वर्ष + 2
1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा				
2. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा				
3. घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व				
4.सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व				

ख. राजवित्तीय संकेतकों में निहित धारणा :

1. राजस्व प्राप्तियां-

   (क) कर राजस्व - क्षेत्रीय और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दरें

   (ख) गैर कर राजस्व - नीतिगत स्थिति

   (ग) राज्यों को न्यागमन -वित्त आयोग

2. पूंजी प्राप्तियां -ऋण स्टाक, प्रतिसंदाय, नए ऋण और नीतिगत स्थिति

   (क) उधारों की वसूली

   (ख) अन्य प्राप्तियां

   (ग) उधार-लोक ऋण और अन्य दायित्व

3. कुल व्यय- नीतिगत स्थिति

   (क) राजस्व लेखा

      (i) ब्याज के संदाय

      (ii) मुख्य सहायकी

      (iii) अन्य

(ख) पूंजी लेखा

(i) उधार और अग्रिम

(ii) पूंजी परिव्यय

4. सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

ग. निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण-

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन- मध्यम कालिक राजवित्तीय विवरण में उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चात्वर्ती दो वर्षों के लिए कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें गैर कर राजस्व और उससे संबद्ध नीतियों का उल्लेख किया जाएगा । राजस्व प्राप्तियां जिसके अंतर्गत उधार और अन्य दायित्व भी हैं का निर्धारण बनाई गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा । विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के लिए प्रक्षेपण भी दिया जा सकेगा और संकेतकों में निहित धारणाओं के आधार पर उसका उल्लेख किया जाएगा । योजना और गैर योजना दोनों राजस्व लेखा पर व्यय भी संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर किया जा सकेगा ।

(ii) **पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग जिसके अंतर्गत उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए बाजार उधार सम्मिलित है ।** मध्यम कालिक नीति विवरण में विभिन्न प्रवर्गों में उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए पूंजी प्राप्तियों का प्रस्तावित प्रयोग विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें इन प्रवर्गो के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जा सकेगा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की संपूर्ण नीति के निबंधनों में उल्लेख भी किया जा सकेगा ।

प्ररूप च- 2

[नियम 4 देखिए]

राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण

क— राजवित्तीय नीति का विहंगावलोकन— [इस पैरा में वर्तमान में प्रचलित राजवित्तीय नीति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जाएगा ।]

ख— आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति— [इस पैरा में निम्नलिखित से संबंधित पांच उपपैरा होंगे-

(1) कर नीति

कर नीति से संबंधित उपपैरा में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में पुरःस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख किया जाएगा । इसमें आयकर छूट सीमा और प्रति व्यक्ति आय से उसका कितना संबंध है, कर छूट विषयक सिद्धांत और छूट के लिए लक्ष्य समूह का निर्धारण होगा ।

(2) व्यय नीति

व्यय नीति के अधीन व्यय के आबंटन में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन उपदर्शित किए जाएंगे । इसमें हितधारियों के फायदे और लक्ष्य समूह विषयक सिद्धांतों का निर्धारण भी होगा ।

(3) सरकार के उधार, उधार देना और विनिधान

सरकार के उधारों से संबंधित इस उपपैरा में आतंरिक ऋण, बाह्य ऋण, सरकार के उधार देने, विनिधान और अन्य क्रियाकलाप ; जिसके अंतर्गत औसत परिपक्वता संरचना, प्रतिसंदायों के समूह आदि से संबंधित नीति उपदर्शित की जाएगी ।

(4) आकस्मिक और अन्य दायित्व

आकस्मिक और अन्य दायित्वों और विशिष्टतया ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें संभाव्य बजट विवक्षाएं हों, पर नीति में कोई परिवर्तन उपदर्शित किया जाएगा ।

(5) प्रशासित माल का मूल्यांकन

प्रशासित उत्पाद के मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत बाजार आधारित सिद्धांतों के लेखे वृद्धि भी है, में प्रस्तावित किसी परिवर्तन का उल्लेख किया जाएगा ।]

ग- आगामी वर्ष के लिए योक्तिक पूर्विकताएं

[(1) कर, गैर कर और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संसाधन गतिशीलता का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) आगामी वर्ष के दौरान व्यय प्रबंध में निहित व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जाएगा ।

(3) आगामी वर्ष के दौरान प्रस्तावित लोक ऋण के प्रबंध से संबंधित पूर्विकताएं उपदर्शित की जाएगी ।]

घ : नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्ति संगतता :

[(1) आगामी बजट में प्रस्तावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की बाबत मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण से संगत नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्तिसंगतता का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) बजट व्यय जिनके अंतर्गत सहायकी पर व्यय भी हैं, की बाबत मुख्य नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्तिसंगतता उपदर्शित की जाएगी ।

(3) लोक ऋण के प्रबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए युक्तिसंगतता उपदर्शित की जाएगी ।

(4) प्रशासित माल के मूल्यांकन की बाबत प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हों, के लिए आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा ।]

ङ : आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य

[दूसरी तिमाही की समाप्ति पर, वर्ष के मध्य का निर्धारण, प्राप्तियों और व्ययों में और बजट प्राक्कलन के संबंध में घाटे में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रवृत्ति से किया जाएगा । यदि गैर ऋण प्राप्तियां उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन के 40 प्रतिशत से कम है ; या राजवित्तीय घाटा उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों के 45 प्रतिशत से अधिक है ; या राजस्व घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलनों के 45 प्रतिशत से अधिक है तो केन्द्रीय सरकार धारा 7 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित कार्रवाई करेगी ।]

च : नीति मूल्यांकन :

[इस पैरा में राजवित्तीय घाटा में कमी और मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण में उपवर्णित उद्देश्यों के प्रतिनिर्देश से आगामी वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का मूल्यांकन अंतर्विष्ट होगा ।]

प्ररूप च-3
(नियम 4 देखिए)

बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण

1. **अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन–** [इस पैरा में वृद्धि दर, कीमत, उत्पादन, बाह्य क्षेत्र, धन और पूंजी बाजार में रुझान का संक्षिप्त विश्लेषण होगा । मुख्य बृहत आर्थिक संकेतकों पर सूचना उपाबद्ध फार्मेट में प्रस्तुत की जाएगी ।]

2. **सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि–** [इस पैरा में संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और उसकी क्षेत्रीय संरचना में रुझान का विश्लेषण होगा ।]

3. **बाह्य क्षेत्र–** [इस पैरा के अधीन निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा आरक्षितियों, चालू लेखा अतिशेष और संदायों के अतिशेष में रुझान का उल्लेख किया जाएगा ।]

4. **धन, बैंककारी और पूंजी बाजार–** [इस पैरा में धन पूर्ति, बैंक निक्षेप और जमा और पूंजी बाजार के विकास में रुझान का लेखा प्रस्तुत किया जाएगा ।]

5. **केन्द्रीय सरकार वित्तपोषण–** [इस पैरा के अधीन राजस्व संग्रहण और व्यय में रुझान का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा । महत्वपूर्ण राजवित्तीय घाटा और ऋण संकेतकों में रुझान का भी उल्लेख किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार वित्तपोषण में रुझान को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा।]

6. **संभावनाएं–** [पूर्ववर्ती धाराओं में प्रस्तुत मुख्य क्षेत्रों में रुझान पर आधारित निर्धारण अंतर्निहित धारणाओं के साथ-साथ वृद्धि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।]

प्ररूप च-3 (जारी)
बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण
आर्थिक अनुपालन एक दृष्टि में

क्रम सं0	मद	पूर्ण मूल्य		परिवर्तनों का प्रतिशत	
		अप्रैल - रिपोर्ट करने की अवधि*		अप्रैल - रिपोर्ट करने की अवधि*	
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
	यर्थाथ सेक्टर				
1	घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद				
(क)	चालू कीमत पर				
(ख)	वर्ष 1993-94 की कीमत पर				
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक				
3	थोक मूल्य सूचकांक (अंक दर अंक)				
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक				
5	घन पूर्ति (एम 3)				
6	चालू कीमत पर आयात				
(क)	रुपए करोड़ में				
(ख)	अमरीकी डालर दस लाख में				
7	चालू कीमत पर निर्यात				
(क)	रुपये करोड़ में				
(ख)	अमरीकी डालर दस लाख में				
8	व्यापार अतिशेष				
9	विदेशी विनिमय आस्तियां				
(क)	रुपये करोड़ में				
(ख)	अमरीकी डालर दस लाख में				
10	चालू खाता अतिशेष				
	सरकारी वित्त पोषण				
1.	राजस्व प्राप्तियां				
2.	कर राजस्व (शुद्ध)				
3.	कर बिना राजस्व				
4.	पूंजी प्राप्तियां (5+ 6 +7)				
5.	ऋणों की वसूली				
6.	अन्य प्राप्तियां				
7.	उधार तथा अन्य दायित्व				
8.	कुल प्राप्तियां (1+ 4)				
9.	गैर योजना व्यय				
10.	राजस्व लेखा जिसका:				
11.	ब्याज संदाय				
12.	पूंजी लेखा				
13.	योजना व्यय				
14.	राजस्व लेखा				
15.	पूंजी लेखा				
16.	कुल व्यय (9+ 13)				
17.	राजस्व व्यय(10+14)				
18.	पूंजी व्यय (12+15)				
19.	राजस्व घाटा (17-1)				
20.	राजवित्तीय घाटा [(16-(1+5+6))]				
21.	बुनियादी घाटा (20-11)				

* आंकड़े उस अवधि से संबंधित होंगे जिस तक चालू वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध है । तुलना को सुकर बनाने के लिए चालू वर्ष के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष की उसी अवधि के आंकड़ों के अनुरूप हैं । तदनुसार विभिन्न मदों के लिए रिपोर्ट करने की अवधि भिन्न हो सकेगी ।

प्ररूप घ - 1
(नियम 6 देखें)

राजस्व कर परंतु वसूला नहीं गया,
(मुख्य कर)

(रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति के अनुसार)

		विवाद के अधीन रकम (रु0 करोड़ में)					विवाद रहित रकम (रु0 करोड़ में)					
मुख्य मद	वर्णन	1 वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग	1 वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग	कुल योग
	आय और व्यय पर कर											
0020	निगम कर											
0021	निगम कर से भिन्न आय पर कर											
	वस्तुओं और सेवाओं पर कर											
0037	सीमा शुल्क											
0038	संघ उत्पाद शुल्क											
0044	सेवा कर											
	योग											

टिप्पणः रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई हैं, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

प्ररूप घ - 2
(नियम 6 देखें)

अराजस्व कर का बकाया

(रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति के अनुसार)

वर्णन	लम्बित रकम (रुपये करोड़ में)				
	0से 1 वर्ष	1से 2 वर्ष	2से 3 वर्ष	5वर्ष से अधिक	योग
राजवित्तीय सेवाएं					
ब्याज प्राप्तियां राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से					
रेलवे से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम से पब्लिक सेक्टर और अन्य उपक्रमों से					
लाभांश और लाभ (यदि कोई हो)					
साधारण सेवाएं					
पुलिस प्राप्तियां					
आर्थिक सेवाएं					
पेट्रोलियम उपकर/स्वामिस्व					
संचार (अनुज्ञप्ति शुल्क) प्राप्तियां					
अन्य प्राप्तियां					
योग					

टिप्पणः रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई हैं, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

प्ररूप घ 3
(नियम 6 देखें)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

वर्ग (कोष्ठक के भीतर प्रत्याभूतियों की सं0)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम रकम (रु0 करोड़ में)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया (रु0 करोड़ में)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रु0 करोड़ में)	वर्ष के दौरान विलोपन (मांगी गई से भिन्न) (रु0 करोड़ में)
1	2	3	4	5

वर्ष के दौरान मांगी गई (रु0 करोड़ में)		वर्ष की समाप्ति पर बकाया (रु0 करोड़ में)	प्रत्याभूति या फीस (रु0 करोड़ में)		अन्य तात्विक ब्यौरे
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त की गई	
6	7	8	9	10	11

टिप्पण - उपर्युक्त तालिका में वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई हैं, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

प्ररूप घ - 4

(नियम 6 देखें)

आस्ति रजिस्टर

	रिपोर्टगत वर्ष के प्रारंभ में आस्तियां	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां	रिपोर्टगत वर्ष के अंत में आस्तियों का संचयी योग
	लागत (रु0 करोड़ में)	लागत रु0 करोड़ में)	लागत (रु0 करोड़ में)
भौतिक आस्तियां :			
भूमि			
भवन			
कार्यालय			
रिहायशी			
सड़क			
पुल			
सिंचाई परियोजनाएं			
शक्ति परियोजनाएं			
अन्य पूंजी परियोजनाए			
मशीनरी और उपस्कर			
अन्य कार्यालय उपस्कर			
यान			
योग			
वित्तीय आस्तियां			
साम्या विनिधान			
शेयर			
बोनस शेयर			
उधार और अग्रिम			
राज्य और संघराज्य क्षेत्र सरकारों को उधार			
विदेशी सरकारों को उधार			
कंपनियों को उधार			
अन्य को उधार			
अन्य वित्तीय विनिधान			
कुल			

टिप्पणः-

(1) केवल दो लाख रु0 के प्रारंभिक मूल्य से अधिक की आस्तियां लेखबद्ध की जाएं ।

(2) प्रकटन कथन में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और आणविक ऊर्जा विभाग की आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं ।